

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क- ज.वि.प्रा./जोन-9/2024/डी-6447

दिनांक:- 21/5/2024

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

एम.जे.बी.बिल्ड डवलपर्स
अधिकृत साझेदार श्रीमती कविता मीना पत्नी श्री बलराम मीना,
एवं श्री मुकेश कुमार किल्डोलिया पुत्र श्री भूराराम किल्डोलिया,
निवासी एल-371, वृन्दा गार्डन, ग्राम खोनागोरियान, जगतपुरा,
जे.एन.यू. के पास, जयपुर।

विषय:- निजी खातेदारी की योजना शिव शक्ति नगर विस्तार के पुर्नगठित एवं उपविभाजित भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 906.63 वर्ग गज के (758.05 व.मी.) आवासीय (भवन) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.03.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	906.63 वर्ग गज (758.05 व.मी.)
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	18 मीटर
3.	पुर्नगठन जारी दिनांक	12.01.2024
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	पुर्नगठित भूखण्ड
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय (फ्लेट्स) प्रयोजनार्थ
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रवण कुमार कुमावत सी.ए./2000/26400

अनुमोदित मानदण्ड:-

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक मई 2031 तक प्रभावी है।			
2.	सैटबैक	सामने-I 4.57 मी.	पार्श्व-I 4.57 मी.	पार्श्व-II 4.57 मी.	पीछे 4.57 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	2965.45 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	3.45 (2615.73 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर			
6.	ऊँचाई	29.35 मीटर			
7.	तलों की संख्या	(स्टिल्ट + ग्राउण्ड + 5 तल)			
8.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस
		सरफेस	मैकेनिकल	18	—
		19	00		25.01

तथ्य:-

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	दिनांक 28.03.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	लागू नहीं है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	64.01 मीटर CCZM भारतीय विमान पतन प्राधिकरण से प्राप्त अनापत्ति के अनुसार।

सामान्य शर्त:-

- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
 - स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपायुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 - निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपायुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावेगा।
 - भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावेगी जिसके पास भवन के मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रपत्र के अतिरिक्त उपायुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावेगा।
- Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर उपायुक्त को सूचित किया जावेगा ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावित न हो सके।

Signature valid

Digitally signed by Gulab Chand

Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.05.17 15:49:53 IST
Reason: Approver

5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाइन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटों के अन्दर पथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि 24/7/2024 के अनुसार परियोजना के अधिवास प्रमाण-पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to Construct प्राप्त होना आवश्यक है। यदि Consent प्राप्त नहीं होता तो भवन निर्माण कार्य जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

RajKaj Ref

Signature valid

Digitally signed by Gulab Chand

Designation: Deputy Commissioner

Date: 2024.05.17 17:49:53 IST

Reason: Approved

23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्त:-

- प्रकरण में पट्टा विलेख दिनांक 29.04.2011 को जारी किया गया था। निर्माण अवधि दिनांक 28.04.2021 थी, उसके उपरान्त पुनर्ग्रहण शुल्क (यथा दिनांक 31.12.2024 तक) की राशि 39891/-रुपये चालान सं. 919943 दिनांक 01.05.2024 से जमा हो चुकी है। अतः भवन निर्माण अवधि 31.12.2024 तक देय होगी।
- यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात् दिनांक मई 2031 तक प्रभावी हैं।
- यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित बैंक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	बैंक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
AU SMALL FINANCE BANK	000021	439852/-	प्रथम	02.01.2025
	000022	439852/-	द्वितीय	02.10.2025
	000023	439852/-	तृतीय	02.07.2026
	000024	439852/-	चतुर्थ	02.04.2027
	000025	439852/-	पंचम	02.01.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित बैंक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। जोनल स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.03.2024 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित बैंक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (02 मानचित्र)

भवदीय,

उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (02 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
- श्री विष्णु मोहन झा, चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
7241626

Signature valid

Digitally signed by Gulab Chand
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2024.05.17 15:49:53 IST
Reason: Approved

जहाँ वहाँ से बड़े आवासीय/व्यावसायिक/संस्कृत
भूखण्डों में मौजूद पर बहुत निर्माणकर्ता द्वारा अवलोकन
prominently display की जायेगी उक्त प्रणाली से
स्वीकृत भवन मानचित्र भवन निर्माणकर्ता द्वारा रूपांतरित
रैखिक समाचार पत्रों में स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने की
स्थिति से एक सफल है प्रकाशित करवाना अनिवार्य होगा।

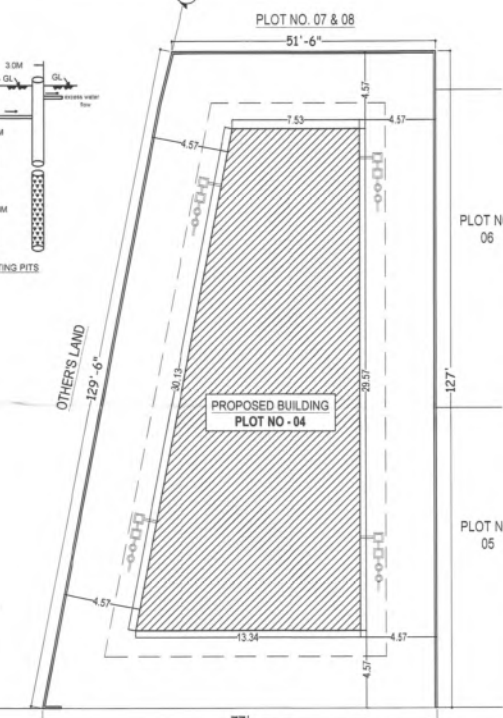
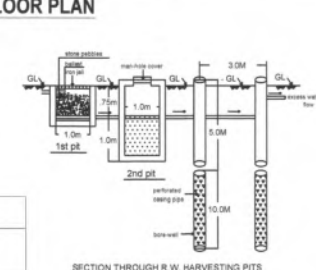
[illegible]

GROUND, 1st, 2nd, 3rd, & 4th FLOOR PLAN

5th FLOOR PLAN

[illegible]

TERRACE FLOOR PLAN



SITE PLAN & WATER HARVESTING PLAN

S.NO.	REFERENCE
1	TOTAL PLOT AREA = 906.63 SQ.YD. ~ 758.05 SQ.M.
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITHIN SETBACKS
3	PROPOSED HEIGHT OF BUILDING = STILT (3.00 M.) +18.0 M
4	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) = 75.80 SQ.M.
5	PROPOSED LANDSCAPE AREA = 75.92 SQ.M.
6	PROPOSED COMMUNITY HALL AREA = 50.02 SQ.M.
7	REQ. PARKING
	RESIDENTIAL
	1 ECU PER 115 SQ.M. RESIDENTIAL AREA = 2615.73 / 115 = 22.74 ECU + 10% VISITORS = 25.01 ECU (75% CAR, 25% SCOOTER) 75% ~ 18.75 ECU ~ 19 CARS 25% ~ 06.01 ECU x 3 ~ 18.03 SCOOTERS
	TOTAL REQUIRED
	= 19 CAR = 18 SCOOTERS
8	PROVIDED PARKING
	CARS = 19 CARS SCOOTERS = 18 SCOOTERS

B.A.R. CALCULATION:

$$\begin{aligned}\text{PERMISSIBLE B.A.R.} &= \text{PLOT AREA} \times \text{B.A.R.} \\ &= 758.05 \times 2.0 \\ &= 1516.10 \text{ B.A.R.} \\ &= \mathbf{1516.10 \text{ SQ.M.}}\end{aligned}$$

PROPOSED BUILT UP AREA COUNTABLE UNDER B.A.R.
= 2615.73 SQ.M. BUILT UP AREA

PURCHASABLE B.A.R.=
= PROPOSED B.A.R. - PERMISSIBLE B.A.R.
= 2615.73 - 1516.10
= 1099.63 SQ.M.

प्रश्न को जोन स्तरीय समिती बैठक दिनांक 28/6/24 को रखा जाकर 29/6/24 मू. उपयोग के भवन भग्नाश्रित पत्रांक जयप्रसा/उपा./जोन-9/2024/ में 6447 दिनांक 21/6/24 को जारी कर अनमोदित किये गये हैं।

AREA STATEMENT				
S.No.	FLOOR	GROSS BUILT UP AREA	CUTOUT AREA _(LIFT+SHAFT)	BUILT UP AREA
		A	B	C
1	STILT FLOOR	308.46	3.89	53.85
2	GROUND FLOOR	433.73	6.75	426.98
3	FIRST FLOOR	433.73	6.75	426.98
4	SECOND FLOOR	433.73	6.75	426.98
5	THIRD FLOOR	433.73	6.75	426.98
6	FOURTH FLOOR	433.73	6.75	426.98
7	FIFTH FLOOR	433.73	6.75	426.98
8	TERRACE FLOOR	54.61		
	TOTAL	2965.45	44.39	2615.73

PROPOSED BUILDING AT PLOT NO.- 04 (RES.),
IN SCHEME :- SHIV SHAKTI NAGAR VISTAR
(NIJI KHATEDARI), JAIPUR

SCALE:-	1:100
DATE:-	16-01-202



ARCHITECT:-

 **space
edge** Architects

B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4062903

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA/2000/28400

OWNER:-

For MJB Build Developers
कविता मीठा mujh
Partner

लोकेश शिव
खपनगर निवास, जोन-७
जयपुर विकास प्राधिकरण,

समायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
फॉर्म-६
अधिवक्ता विभाग प्राधिकरण, जयपुर

SHEET - 01

अनुमोदित
पेड़ लगाना - हरियाली बढ़ाओ

1. यह दस्तावेज़ केवल आदर्श/संदर्भ के रूप में है।
2. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
3. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
4. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
5. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 14 के तहत निर्माण के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाते हैं।
अन्यथा जहाँ तक भवन निर्माण के दिशानिर्देश
निष्पत्ति प्राप्त होगी की जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 14 के तहत निर्माण के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाते हैं।
अन्यथा जहाँ तक भवन निर्माण के दिशानिर्देश
निष्पत्ति प्राप्त होगी की जाएगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1. यह दस्तावेज़ केवल आदर्श/संदर्भ के रूप में है।
2. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
3. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
4. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।
5. इसमें कोई भी त्रुटि या त्रुटिपूर्ण जानकारी हो सकती है।

Applicant should get construction
checked at plinth level before
proceeding to further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रोजन भवन)
विनियम 2020 की धारा 14 के तहत निर्माण के
अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखे जाते हैं।
अन्यथा जहाँ तक भवन निर्माण के दिशानिर्देश
निष्पत्ति प्राप्त होगी की जाएगी।

SHEET - 02

अनुमोदित
पेठ सहायक-निर्वाहक सहायक

FRONT ELEVATION

REAR SIDE ELEVATION

LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION

SECTION AT (S1)

SECTION AT (S2)

PROJECT:-

PROPOSED BUILDING AT PLOT NO.- 04 (RES.),
IN SCHEME :- SHIV SHAKTINAGAR VISTAR (NIJI
KHATEDARI), JAIPUR

SCALE:-

1:100

NORTH:-

ARCHITECT:-



B-6, GANESH KRIPA, MOTI MARG,
BAPU NAGAR JAIPUR - 302015.
TEL. 9314510603, 0141-4062903

OWNER:-

KUMAWAT S. KUMAR
ARCHITECT
CA/2000/28400

For MJB Build Developers
कविता मोषा
Partner